मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2017 (फाल्गुन 17, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख

शाजापुर जिले में जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में आतंकियों द्वारा किए गए विस्फोट के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 3 आतंकियों को पकड़ने पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस एवं श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री को बधाई दी गई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 161 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 206 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. बहिर्गमन

श्री के.पी. सिंह, सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति छात्रावास की स्वीकृति संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 796) पर शासन के पक्षपातपूर्ण रवैये से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

4. अध्यक्षीय घोषणा

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई एवं कार्यक्रम विषयक

अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं श्रीमती अर्चना चिटनीस, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला दिवस पर बधाई दी गई.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि - "आज दिनांक 8 मार्च, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में हीमोग्लोबिन जॉच शिविर लगाया गया है. सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे आज सायं 5.00 बजे तक अपनी सुविधानुसार इस शिविर में हीमोग्लोबिन परीक्षण कराने का कष्ट करें."

श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से, समस्त महिला विधायकों की ओर से, माननीय सदस्यों से विधान सभा के मानसरोवर सभागार में उनके विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित रहने एवं तदनन्तर परम्परागत भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया गया.

5. शासकीय वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने दिनांक 7.3.2017 को शाजापुर जिले में जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट के बाद, पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 3 आतंकियों को पकड़ने सम्बन्धी वक्तव्य दिया.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के वगदरा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय खुलवाये जाने,

(2) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य की धरमपुरी से भाण्डव सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने,

(3) श्री सतीश मालवीय, सदस्य की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उज्जैन जिले के बेड़ावन में दुरूपयोग होने,

(4) श्री के.के.श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में तालाबों की फीडर लाइन पर अतिक्रमण से समस्या उत्पन्न होने,

(5) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य की पी.आई.यू.में वित्तीय लेनदेन की जॉच हेतु लेखापालों की नियुक्ति करने,

(6) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील अंतर्गत बड़नगर से घिनोदा तक की सड़क को स्टेट हाईवे घोषित किये जाने,

(7) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य की राजगढ़ जिले में ईनामी आरोपी, पुलिस उदासीनता के चलते बैखौफ घूमने,

(8) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा में निर्मित बायपास के गड्ढे भरकर रेलिंग लगाये जाने,

(9) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की सागर जिला मुख्यालय में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा

(10) श्री राजेन्द्र मेश्राम, सदस्य की व्यवसायिक परीक्षा में चयनित संविदा शिक्षकों को नियुक्ति न दी जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2015-16 पटल पर रखे.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (मध्यप्रदेश) का 48 वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

8. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के ग्राम हीरापुर निवासी की हत्या के आरोपी न पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

9. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा मंदसौर-जावरा के सांसद, श्री सुधीर गुप्ता की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य ने जबलपुर नगर निगम में शामिल केंट क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को शासकीय योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का चवालीसवां एवं पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री जयसिंह मरावी, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का अष्टम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(2) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(4) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(5) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(6) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(7) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(8) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़
(9) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(10) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(11) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(12) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(13) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(14) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(15) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(16) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(17) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(18) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(19) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-धार)
(20) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(21) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(22) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(23) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(24) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(25) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(26) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-भोपाल शहर)
(27) श्री दिनेश राय (मुनमुन) (जिला-सिवनी)
(28) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(29) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(30) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(31) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(32) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(33) श्री आर.डी.प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(34) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(35) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(36) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(37) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(38) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी शहर)
(39) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(40) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(41) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(42) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)

(43) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(44) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(45) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(46) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(47) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(48) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(49) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(50) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(51) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(52) श्रीमती संगीता चारेल (जिला-रतलाम)
(53) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(54) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)

(अपराह्न 12.39 से अपराह्न 3.03 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

13. अध्यक्षीय व्यवस्था

विभागीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने विषयक

डॉ गोविन्द सिंह एवं बाला बच्चन, सदस्यगण ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय सदस्यों को समय पर विभागीय प्रतिवेदन नहीं दिये जा रहे हैं. परम्परा है कि प्रशासकीय प्रतिवेदन एक दिन पहले मिल जाते हैं जिससे हम उसका अध्ययन कर सके. आज ही श्रम एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन मिले हैं, लेकिन राजस्व सहित कुछ विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन अभी तक नहीं मिले हैं, जो कि एक दिन पूर्व माननीय सदस्य को वितरित होना चाहिए. मंत्री महोदय इस बात को सुनिश्चित करें.

उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि मंत्रीगण इस बात का ध्यान रखें कि जितने शासकीय प्रतिवेदन हैं, कम से कम एक दिन पहले माननीय सदस्यों के पास अवश्य आ जाया करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि विभाग अपने अलग अलग प्रतिवेदन देते हैं. राजस्व विभाग को छोड़कर के लगभग सभी विभागों के प्रतिवेदन आ गये हैं. हम आसंदी के निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे.

14. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः).

(5) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 18	श्रम के लिए एक सौ अठहत्तर करोड़, बहत्तर लाख, चौवन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार छह सौ ग्यारह करोड़, चौसठ लाख, तेरह हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

15. औचित्य के प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि यह कटौती प्रस्ताव मूल रुप से विपक्ष के लिये ही होता है. मैंने कल भी ध्यानाकर्षित किया था कि जो व्यक्ति बजट पर चर्चा प्रारम्भ करे, वह मंत्री महोदय के जवाब के समय भी सदन में उपस्थित रहें, आपने व्यवस्था भी दी थी. परन्तु आज 90 प्रतिशत कटौती प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्यगण यहां अनुपस्थित हैं कृपया श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. गोविन्द सिंह जी इस पर ध्यान दें.

उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - मैं आपके सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं और पूर्व में भी व्यवस्था दे चुका हूं. कम से कम कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य तो उपस्थित रहें ही, लेकिन कम से कम वह सदस्य जो शुरु में बोलते हैं या बाद में भी बोलते हैं. जो भी बोलने वाले सदस्य हैं, उनको मंत्रिगण का जवाब सुनना चाहिए. बहुत सारे मुद्दों पर माननीय मंत्री जी अपने भाषण के दौरान सदस्यों के मुद्दों का जवाब भी देते हैं तो उचित तो यही रहेगा. ऐसी व्यवस्था प्रतिपक्ष सुनिश्चित करे.

श्री बाला बच्चन, सदस्य ने आश्वस्त किया कि हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे. आपकी बात और माननीय संसदीय कार्यमंत्री की बात से हम सहमत हैं, हमारे विधायकगण रहेंगे और प्रथम वक्ता तो विशेषकर रहेंगे ही. आज पांच विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के समय हमने जो नाम दिए हैं, हमारे बोलने वाले सभी सदस्यगण उपस्थित रहेंगे, हमारी तरफ से भी उनको हिदायत दे दी जायेगी कि माननीय सदस्यों को सदन में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए.

16. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) कुंवर सौरभ सिंह
(4) श्री मानवेन्द्र सिंह
(5) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(6) श्री सुदर्शन गुप्ता
(7) श्रीमती ऊषा चौधरी
(8) श्री शैलेन्द्र जैन
(9) श्रीमती शीला त्यागी
(10) श्री बहादुरसिंह चौहान
(11) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(12) श्री दिनेश राय
(13) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(14) श्री वेलसिंह भूरिया
(15) श्री रामलाल रौतेल
(16) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(17) डॉ.योगेन्द्र निर्मल

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण तथा श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(6) श्री रूस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए पांच हजार छह सौ बहत्तर करोड़, साठ लाख, पचास हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

17. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 के उप पद 2 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

18. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(1) श्री बाला बच्चन
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री गिरीश गौतम
(5) श्री दुर्गालाल विजय
(6) श्री शैलेन्द्र जैन
(7) श्री दिनेश राय
(8) श्री प्रताप सिंह
(9) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(10) श्री सुखेन्द्र सिंह
(11) चौधरी मुकेश चतुर्वेदी
(12) श्रीमती शीला त्यागी
(13) श्री इन्दर सिंह परमार
(14) श्रीमती ऊषा चौधरी
(15) श्री बहादुर सिंह चौहान
(16) श्री हरदीप सिंह डंग
(17) श्री मुरलीधर पाटीदार
(18) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
(19) श्री अनिल जैन
(20) श्री यादवेन्द्र सिंह
(21) श्रीमती सरस्वती सिंह
(22) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(23) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(24) श्री दिलीप सिंह परिहार
(25) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(26) श्री लखन पटेल

(27) श्री रामलाल रौतेल
(28) श्री मानवेन्द्र सिंह
(29) डॉ योगेन्द्र निर्मल
(30) श्री आर डी प्रजापति
(31) श्री सूबेदार सिंह राजौधा
(32) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा
(33) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को
(34) श्री शंकरलाल तिवारी
(35) श्री जसवंत सिंह हाडा
(36) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल (भाषण पूर्ण)
(चर्चा जारी)

अपराह्न 7.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2017 (18 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 8 मार्च, 2017